

उत्तर पश्चिम रेलवे



प्रधान कार्यालय

जयपुर

आर.बी.ई.सं.

90/2012

दिनांक

3/9/2012

सं. 500E/0/MPP

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक- जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
मुख्य कारखाना प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण- जयपुर
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.-जयपुर
सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक /सतर्कता प्रका.- जयपुर
मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.- जयपुर
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड- अजमेर
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान- उदयपुर
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र- जोधपुर
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.- जयपुर
सहायक सचिव/गोपनीय - महाप्रबंधक प्रका.- जयपुर
मुख्य खजांची रोकड एवं वेतन विभाग प्रका.- जयपुर
निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.- जयपुर.

विषय :- Imparting moral education to directly
recruited staff / Supervisors.

संदर्भ :- Railway Bo Lno. E (MPP) 2012/3/24

Dt. 14/8/2012


रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि. 14/8/12 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन एवं सूचनाएँ प्रेषित की जा रही है।

सलरन- यथोक्त।

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. महासचिव- एनडब्ल्यूआरईयू 15 प्रतियाँ।
2. महासचिव- यूपीआरएमएस 15 प्रतियाँ।
3. महासचिव- एससी/एसटी एसो. 15 प्रतियाँ।
4. महासचिव- ओबीसी एसो. 05 प्रतियाँ।
5. महासचिव- पदोन्नत अधिकारी एसो. 15 प्रतियाँ।



CFO
Sri
Dy. Dir. (R) [Signature]
Checked
[Signature]
27/8/12

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

RBE.No. 90/2012
Dated: 14.08.2012

No. E(MPP)2012/3/24

NWR

The General Manager (P)
All Indian Railways &
Production Units
CORE/Allahabad
CAO/COFMOW

Director
IRISET/Secunderabad
IRICEN/Pune
IRIEEN/Nasik
IRIMEE/Jamalpur
IRITM/Lucknow

Director General
RSC/Vadodara
RDSO/Lucknow

Executive Director/CAMTECH
Gwalior

Principal,
Jagjivan Ram RPF Academy,
Lucknow

Sub: Imparting Moral Education to directly recruited Staff/Supervisors

106

This to intimate that during a meeting with the Central Vigilance Commissioner (CVC), it was emphasized that Moral Education should be imparted to all employees on Indian Railway worker to make them aware of their duties.

It has accordingly been decided that two Sessions mainly on Values in Administration; Ethics in Government and provision of Conduct Rules as envisaged in the Railway Servants (Conduct Rules 1968), etc may be taught to the Staff and Supervisors during their Initial/Induction training courses without increasing the duration of the overall training course.

In this regard a Distance Learning Module on "Values in Administration" is available on the Website of the Department of Personnel and Training and this can be used as a source material for training.

Implementation of the above directions may be advised to Board suitably.

[Signature]
(Anil Wason)
Dy. Director/MPP
Railway Board

40
2/18

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं 90/2012

दिनांक: 14.08.2012

सं. ई(एमपीपी)2012/3/24

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी भारतीय रेलें एवं

उत्पादन इकाइयां

कोर/इलाहाबाद

महा निदेशक

अअमासं/लखनऊ

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कॉफमो

कार्यपालक निदेशक

कैमटेक

ग्वालियर

महानिदेशक

रेलवे स्टाफ कॉलेज/वडोदरा

निदेशक

इरिसेट/सिकंदराबाद

इरिसेन/पुणे

आईआरआईईईएन/नासिक

आईआरआईएमईई/जमालपुर

आईआरआईटीएम/लखनऊ

प्रिंसीपल

जगजीवन राम रेसुब अकादमी

लखनऊ


विषय: सीधे भर्ती हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नैतिक शिक्षा देना।

यह सूचित किया जाता है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के साथ हुई बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया था कि भारतीय रेलों पर सभी कर्मचारियों को अपनी इयूटियों के प्रति जागरूक बनाने के लिए नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए।

तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि समग्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ाए बिना अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके प्रारंभिक/भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के दौरान मुख्यतः प्रशासनिक कार्यों में नैतिक मूल्यों; सरकारी कार्यों में नैतिक सिद्धांतों और रेल सेवक (आचरण नियम, 1968) में यथा वर्णित आचरण नियमों के प्रावधान आदि से संबंधित दो सत्रों में प्रशिक्षित किया जाए।

इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर "प्रशासनिक कार्यों में नैतिक मूल्यों" पर डिस्टेंस लर्निंग मॉड्यूल उपलब्ध है और इसका उपयोग प्रशिक्षण के लिए एक स्रोत सामग्री के रूप में किया जा सकता है।

उपरोक्त निदेशों को लागू करने के बारे में बोर्ड को सूचित किया जाए।



(अनिल वासन)


उप निदेशक/एमपीपी
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एमपीपी)2012/3/24

दिनांक: .08.2012

प्रतिलिपि:

1. महासचिव, एआईआरएफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली, 35 अतिरिक्त कापियों सहित
2. महासचिव, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली, 35 अतिरिक्त कापियों सहित
3. सचिव, फ़ोआ, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली, 5 अतिरिक्त कापियों सहित
4. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा संख्या 268, रेल भवन, नई दिल्ली, 5 अतिरिक्त कापियों सहित
5. सभी सदस्य, विभागीय परिषद और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद 13-सी, फ़िरोजशाह रोड, नई दिल्ली, 90 कापियों सहित
6. महासचिव, आईआरपीएफ एसोसिएशन, कमरा संख्या 256, रेल भवन, नई दिल्ली, 5 अतिरिक्त कापियों सहित
7. महासचिव, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, 171/बी-3, बसंत लेन, रेलवे कॉलोनी, नई दिल्ली (15 कापियां)


कृते सचिव/रेलवे बोर्ड